(12)

संख्याः- 936 /VI(1)/2011-03(19)/2010

प्रेषक,

श्याम सिंह,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 29 मार्च, 2011

विषयः-जोशीमठ स्थित एक्सपिडीशन हॉस्टल के उच्चीकरण निर्माण हेतु (फर्नीचर, Linin & Accessories, Gyser कार्य) प्रशासकीय एवं व्यय हेतु स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-404/2-6-220/95/2010, दिनांक 02 दिसम्बर, 2010 द्वारा जोशीमठ स्थित एक्सपिडीशन हॉस्टल के उच्चीकरण निर्माण हेतु ₹ 27.82 लाख का आगणन उपलब्ध कराया गया था। जिसके सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त के परीक्षणोपरान्त सिविल कार्यो से सम्बन्धित औचित्यपूर्ण पाई गयी धनराशि ₹ 16.85 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-373/VI(1)/2011-03(19)/2010, दिनांक 28 फरवरी, 2011 द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है, जबकि आगणन में फर्नीचर, Linin & Accessories, Gyser कार्य हेतु प्रस्तावित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार कार्यवाही के अन्तर्गत टी0ए0सी0 वित्त द्वारा संस्तुत ₹ 8.94 लाख की धनराशि अवमुक्त नहीं हो पाई।

2- अतः उपरोक्त से सम्बन्धित आपके पत्र संख्या-635/2-6-220/2010-11, दिनांक 14 मार्च, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जोशीमठ स्थित एक्सपिडीशन हॉस्टल के उच्चीकरण निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन में प्रस्तावित फर्नीचर, Linin & Accessories, Gyser कार्यो हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत पर्यटन विकास की नई योजना की मद में ₹ 8.94 लाख (₹ आठ लाख चौरानब्बे हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(2) उपरोक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3) उपरोक्त धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2011 तक उपयोग कर ली जाय। उसके पश्चात अवशेष धनराशि शासन में समर्पित कर ली जाय।

(4) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

क्रमशः 2

(5) उपरोक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या–373/VI(1)/2011–03(19)/2010, दिनांक 28 फरवरी, 2011 में उल्लिखित शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

(6) उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–26 के लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–संबर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–49–पर्यटन विकास की नई योजनाएं–24–वृहत्त निर्माण कार्य के मानक मद के नामे डाला जायेगा।

(7) उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–995/XXVII(2)/2011, दिनांक 29 मार्च, 2011 प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।

संख्या:– 936/VI(1)/2011–03(19)/2010, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
4– जिलाधिकारी, चमोली।
5– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– निजी सचिव–मा0 पर्यटन मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
8– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, चमोली।
9– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
10– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।
29/3/2011